67
2018
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 67/2018 अनवानी वाजिद अली शाह पुत्र श्री अमीन शाह वी. पी.ओ.– वार्ड नं.–07, सात जी.डी. तहसील घड़साना, जिला श्रीगंगानगर पीन–335711 बनाम लोक सूचना अधिकारी एवंम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

31–10–2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री वाजिद अली शाह उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक आवेदन पत्र दिनांक 02.08.2018 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से चाही गई सूचनाऐं उसे उनके द्वारा निर्धारित अवधि 30 दिवस में उपलब्ध नही करवाई गई है और न ही कोई जबाब दिया गया है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश करके प्रार्थना की गई है उसे वाछिंत सूचनाऐं शीर्घ उपलब्ध करवाई जावे और लोक सूचना अधिकारी पर विलम्ब के लिए शास्ति लगाई जावे।

अपीलार्थी ने आवेदन पत्र दिनांक 02.08..2018 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी,श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थी:–

> **1. ग्राम पंचायत 2 जी.एम. में वर्तमान में खादय सुरक्षा में चयनित लाभार्थियों की प्रमाणित सूची की फोटो प्रतिलिपि देवें जिनकों उचित मूल्य की दुकान नं– 301 से राशन प्राप्त होता है।**
> **2. अन्तोदेय योजना, अन्नपूर्णा योजना, बी.पी.एल लाभार्थियों की प्रमाणित फोटो प्रति देवें जिनको ग्राम पंचायत 2 जी.एम. की दुकान नं. 301 से राशन प्राप्त होता है।**
> **3. ग्राम पंचायत 2 जी.एम. की उचित मूल्य की दुकान नं–301 से 01–04–2017 से 30–06–2018 तक गेहुँ, चीनी, मिट्टी का तेल वितरण से सम्बधित स्टॉक रजिस्टर की प्रमाणित फोटो प्रति देवें।**

उक्त सूचनाओं के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपील पत्र पर अपने प्रतिवेदन क्रमाक 8390 दिनांक 25.10.2018 के द्वारा निम्न प्रकार से इस कार्यालय को सूचित किया हैं।

> उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 02.08.2018 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में निम्नलिखित सूचना चाही गई है:–
>
> > राशन की उचित मूल्य की दुकान नं. 301 होल्डर नाम श्रवण कुमार की दुकान में स्टॉक व पात्रों से सम्बन्धित जानकारी :–
> > चाही गयी सूचना सम्बन्धित 301 नं. दुकान से :–
> > **1. ग्राम पंचायत 2 जी.एम. में वर्तमान में खादय सुरक्षा में चयनित लाभार्थियों की प्रमाणित सूची की फोटो प्रतिलिपि देवें जिनकों उचित मूल्य**

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

67 जिला कलैक्टर
2018 श्रीगंगानगर

की दुकान नं– 301 से राशन प्राप्त होता है।
2. अन्तोदेय योजना, अन्नपूर्णा योजना, बी.पी.एल लाभार्थियों की प्रमाणित फोटो प्रति देवें जिनको ग्राम पंचायत 2 जी.एम. की दुकान नं. 301 से राशन प्राप्त होता है।
3. ग्राम पंचायत 2 जी.एम. की उचित मूल्य की दुकान नं–301 से 01–04–2017 से 30–06–2018 तक गेहुँ, चीनी, मिट्टी का तेल वितरण से सम्बधित स्टॉक रजिस्टर की प्रमाणित फोटो प्रति देवें।

इस सम्बन्ध में निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में अंकित सूचना उपखंड अधिकारी कार्यालय घड़साना से सम्बन्धित होने के कारण उपखण्ड कार्यालय घड़साना को जरिए पत्रांक 7717 दिनाँक 08.08.2018 द्वारा प्रार्थी को बिन्दुवार सूचना देने के लिए लिखा गया। तथा प्रार्थी को जरियें रजिस्टर्ड पत्रांक 7718 दिनांक 08.08.2018 को सूचित किया गया।

इस प्रकार प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना एसडीएम घड़साना द्वारा दी जानी थी तथा अपीलार्थी द्वारा एसडीएम घड़साना के विरूद्ध अपील की जानी थी।

अतः अनुरोध है कि प्रार्थी द्वारा इस कार्यालय के विरूद्ध प्रस्तुत अपील खारिज करने की कृपा करें।

संलग्नः– पत्रांक 7717–7718 दिनांक 08.08.2018 की प्रति।

भवदीय

जिला रसद अधिकारी
श्रीगंगानगर

उक्त प्रतिवेदन 25.10.2018 में अकिंत पत्रांक 7717 दिनांक 08.08.2018 के द्वारा जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 13.09.2018 को सम्बधिंत लोक सूचना अधिकारी को वांछित सूचनाऐं उपलब्ध करवाने के लिए निम्न प्रकार से प्रषित करते हुए अपीलार्थी को जरिए पत्रांक 7718 दिनांक 08.08.2018 से सूचित किया है।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाई जा रही है। प्रार्थना पत्र में अकिंत सूचना आपके कार्यालय से सम्बन्धित है। अतः बिन्दुवार सूचना प्रार्थी को नियमानुसार उपलब्ध कराकर अवगत करवायें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रू 10/– का पोस्टल आर्डर इस कार्यालय में जमा कर लिया गया है।

जिला रसद अधिकारी
श्रीगंगानगर

चूकि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का सम्बन्ध जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से न होकर उपखण्ड अधिकारी घड़साना से है इसलिए जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के विरूद्ध यह अपील सुनवाई योग्य न होने के कारण खारिज की जाती है और अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता कि उसे वांछित सूचनाओं के सम्बन्ध में सम्बधिंत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी घड़साना के समक्ष ही चाराजोही करनी चाहिए। अगर अपीलार्थी वांछित सूचनाओं के सम्बन्ध में

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

67/2018 — जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के निर्णय से व्यथित हो तो वह उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के विरूद्ध अपील पेश करने के लिए स्वतन्त्र है।

अतः उपरोक्तानुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर व उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को भिजवाई जावे एवं आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 31.10.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना
(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर